तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-6-19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22-8-19 को पेश हो। विपक्षी का सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुआ जिसे शामिल किया गया रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
22-8-19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की, जब कि पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील - माण्डल मे स्थित होकर शंकर S/o श्री खेमा रेगर साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेज एव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम शंकर न होकर पन्नालाल S/o श्री खेमा रेगर है जिसकी ताईद मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, आधारकार्ड की फोटो कॉपी परिवार का राशन कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति से होती है, जिसमे प्रार्थी का नाम पन्नालाल S/o श्री खेमा रेगर है उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः : : आदेश : :	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		06 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे प्रार्थी का नाम शंकर S/o श्री खेमा रेगर के बजाय पन्नालाल S/o श्री खेमा रेगर अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर माण्डल जिला भीलवाड़ा	